न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2024
(GCMS 2024/7)(212039882277836)

बंशीलाल पुत्र श्री जोधाराम निवासी 55 एलएनपी, पोस्ट 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बंशीलाल की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी बंशीलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2023 को प्रस्तुत करके बारह बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए उसने 25000/- शास्ति लगाने, कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, मानसिक आर्थिक व शारीरिक क्षति के 10,000/- हर्जाना उसे दिलवाते हुए वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी श्री बंशीलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थी:

1. मुरबा नं. 35 जोधाराम पुत्र श्री हरचन्दराम जाति बिश्नोई के नाम राजस्व [illegible] है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. इस भूमि पर सड़[illegible] आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है उसका नाम, प[illegible] दिनांक व किला [illegible] की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. आवेदन देने के पश्चात जिस अधिकारी द्वारा मौका मुआईना सड़क बनाने हेतु किया गया है उसका नाम, पद व दिनांक की सूचना व मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. सड़क जो बनाई गई है उसकी लम्बाई, चौड़ाई व सड़क बनाने में लगे समय की अवधि की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. उस संस्था, ठेकेदार व फर्म का नाम जिसके द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया है व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. सड़क निर्माण हेतु जिस अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है उस अधिकारी का नाम, पद व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. सड़क निर्माण में लगी कुल लागत की सूचना व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. सड़क निर्माण में लगे निमार्ण सामग्री की सूचना व इस सड़क के टूटने के बाबत जो अवधि सरकार व ठेकेदार द्वारा निर्धारित की गई है की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. सड़क निर्माण से पहले नियमों के अन्तर्गत कृषि भूमि के खातेदार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है उसकी सूचना व जो नोटिस जोधाराम पुत्र श्री हरचन्दराम को दिया गया है उसकी सूचना एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।
10. ... किला के हिसाब से दिया जाता है उस राशि की सूचना व सरकारी नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
11. उपरोक्त भूमि से सड़क निर्माण हेतु किसी अन्य खातेदार द्वारा कोई आपति की गई या सरकार से मुआवजा उठाया गया है तो उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
12. जमीन नहरी है या विरानी है इसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2024/4010 दिनांक 06.02.2024 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में जवाब प्रार्थना पत्र एवं टिप्पणी इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा बताया गया प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पदमपुर के पास लगाया गया था। अतः अपील भी संबधित प्रथम लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध ही की जा सकती है। प्रथम लोक सूचना अधिकारी तहसीदलार पदमपुर द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/2957 दिनांक 08.12.2023 के द्वारा प्रार्थी को अपने कार्यालय से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाते हुये शेष सूचना लिये उपखण्ड अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पत्र लिखा था। चूंकि उपखण्ड कार्यालय पदमपुर 01.04.2010 से संचालित है। पूर्व में क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के अन्तर्गत आने से पूर्व का रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने की सूचना एवं उपखण्ड कार्यालय श्रीकरणपुर से उपलब्धता एवं रिकार्ड संधारण बाबत प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/3907 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा सूचित कर दिया गया था।

प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के पास पूर्व में कभी भी सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र नही लगाया है। अतः जो अपील की गई है वो स्वीकार योग्य नही है। प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबधित नही होने से प्रार्थी द्वारा उपखण्ड कार्यालय श्रीकरणपुर से सूचना लेने हेतु स्वतन्त्र है। अतः महोदय, प्रकरण में कोई कार्यवाही विचाराधीन न होने के कारण सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए अपील निरस्त करने का [illegible] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(बिजेन्द्र सिंह) आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रार्थी को अपने पत्रांक 307 दिनांक 18.12.2023 से अवगत करवाया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर दिनांक 01.04.2010 से संचालित है। पूर्व में क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के अन्तर्गत आने से पूर्व का रिकॉर्ड उनके कार्यालय में संधारित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा **2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नही है। [illegible]**कार उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही** [illegible] **किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। [illegible]लिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28.59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कुलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested